सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 254/2013

1. सुरेश चन्द
2. राजेश — पिस0 भजनलाल जाति जाटव नि0 कस्बा नगर
3. विजेन्द्र

—— वादीगण

बनाम

1. जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार नगर

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता वादीगण

श्री गजेन्द्र सिंह, प्रति0

निर्णय दिनांक 11/12/2017

वादीगण ने मत दावा आश्य का संस्थित किया है कि हाल आ0ख0न0 223/0.80 बाके ग्राम भुआपुरगढी तहसील नगर वादीगण के बाबा खैराती पुत्र दीपा जाति जाटव निवासी नगर की खातेदारी काश्तकारी व रकबा था खैराती वादी के पास ही रहता था तथा उसने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का ऐ रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 06.12.1988 को वादीगण के हक में व हिस्सा बराबर बांट दिया था तथा दिनांक 01.01.1989 को खैराती की मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु के बाद वादीगण ही वि0आ0 पर हि0 बराबर काबिज रहकर काश्त कर ले चले आ रहे है। प्रतिवादी को वसीयतनामा के आधार पर इन्द्राज करने हेतु कई बार कट0 लेकिन इन्द्राज नही किये तथा दिनांक 08.12.2009 को अति0 के अधीनस्थ कर्मचारीयों के वादीगण के अआराजी नाम दर्ज नही करके तथा बेदखल करके बावत धमकी दी है विदी बजह वादीगण डिक्रि डिक्लेटेशन व स्थाई निषेधारात पाने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति वादीगण को तलब किया गया प्रति वादरगण ने जबाव दावा इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि वादीगण का दावा वसीयतनामा के अभाव में चलने योग्य नहीं है वादीगण द्वारा वसीयतनाकर्ता का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अभाव के दावा वादीगण का बिल खारिज हे वादीगण द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नहीं दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है अतः में निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तनकी दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम कि गई :–

1. आया वादीगण वि0अ0 वर्णित बाद पत्र की मद सं0 2 पर बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। ———जिम्मे वादी0
2. आया वादीगण विरूद्ध प्रति0 डिक्रि स्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ———जिम्मे वादी0
3. आया दावा वादी दस्तावेजात यथा वसीयतनामा मृत्यु प्रमाण–पत्र खैराती के अभाव में काबिल खारिज है। ———जिम्मे पैरेवार
4. आया वादी द्वारा दावा दायरी से पूर्व दावा 80सी0पी0सी0 को नतेईस नहीं किया है जिससे दावा काबिल खारिज है। ———जिम्मे दौरानकर
5. दादरसी !

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल, जमाबंदी, ग्राम पालका प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी ग्राम भुआपुरगढी प्रदर्श–2, वसीयतनामा खैराती पुत्र दीपा दिनांक 06.12. 1988 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण–पत्र खैराती पुत्र दीपा प्रदर्श–4, दस्तावेजात प्रस्तुत किये है प्रतिवादीगण की ओर से कोई सबूत प्रस्तुत किये है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया नकल जमाबंदी स0 2065–68 बाके ग्राम भुआपुरगढी प्रदर्श–2 के खाता सं0 254 पर आ0ख0न0 223/0.80 की बाबत खैराती पुत्र दीपा कौम चमार सा0 देह पईदार दर्ज होना पाया जाता है वसीयतनामा प्रदर्श–3 के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह वसीयत खैराती पुत्र दीपा कौम चमार साकिन कस्बा नगर ने अपनी चल वअचल सम्पत्ति की सुरेश चन्द व राजेश व विजेन्द्र

पिसरान भजनलाल कौम जाटव निवासी कस्बा नगर तहसील नगर के पक्ष में कर दी जो दिनांक 06.12.1988 को सब रजिस्ट्रार नगर द्वारा पंजीकृत कि गई है रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नगर पालिका नगर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–4 के अवलोकन से खैराती पुत्र दीपा की मृत्यु दिनांक 01.01.1989 को कस्बा नगर में होना साबित होता है इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से मृतक खैराती की भूमि में मुतावित रजिस्टर्ड वसीयतनामा वादीगण को हक प्राप्त हो जाते है जिससे दावा वादीगण डिक्रि किये जाने योग्य पाया जाता है अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्रि किया जाता है आ0ख0 223/0.80 बाके ग्राम भुआपुर गढी तहसील नगर से मृतक खैराती का नाम कलभजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर पट्टेदार दर्ज किया जाता है इसी प्रकार पर्चा डिक्रि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 11/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर